श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, समय खत्म हुआ। Statement by Minister correcting answer to question.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, with your permission, I make a statement correcting the answer to Starred Question 111 given in the Rajya Sabha on the 11th February, 2021 regarding 'Eligibility in Reserved Constituencies'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

Vehicles Scrapping Policy

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Statement by the Minister, Shri Nitin Jairam Gadkari.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी): माननीय उपसभापित महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्क्रैपिंग नीति के ऊपर प्रस्ताव रखा था, मैं आज उस पॉलिसी को पूरी तरह से आपके सामने घोषित कर रहा हूँ। महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं, जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं, जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण प्रदूषित करते हैं और इसके कारण हमारे देश में प्रदूषण की समस्या भी काफी गंभीर है। विशेष रूप से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं। इसके साथ-साथ ये सड़क सुरक्षा के लिए एक जोखिम बनते हैं। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से pollution भी कम होता है।